न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

प्रार्थना–पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
03/25	53,88,89 & 188 RTA	इकलेरा	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
रोहित वगै0	बनाम	बनवारी वगै0

वकील :–

आदेश पत्रक

वकील:–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
03.01.2024	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89 & 188 आर. टी. एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 05/03/25 को पेश हो।	
5-3-25	पीठासीन अधिकारी ~~राजकार्य~~ के बाहर में रहने से पूर्ववत दिनांक 30-4-25 को प्रस्तुत हो. (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बारां प्रतिवादी क्र.-4 की ओर से अभिभाषक [illegible] [illegible] का [illegible] पेश हुआ।	
30-4-25	पीठासीन अधिकारी ~~राजकार्य~~ में बाहर में रहने से पूर्ववत दिनांक 19-5-25 को प्रस्तुत हो. (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बारां	
19-5-25	पत्रावली आज पेश हुई। [illegible] [illegible] 3001 वकील प्रतिवादी जवाब का समय चाहते हैं। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 11-6-25 को पेश हो।	
11-6-25	पत्रावली पेश हुई। [illegible] [illegible] 300। वकील प्रतिवादी जवाब का समय चाहते हैं। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18-8-25 को पेश हो।	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
13/6/25	पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली तलब कर राजीनामा तस्दीक करने बाबत. द्वारा कमल पेश करने पर तलब की गई। उभयपक्ष अभिभावकगण ने अधिवक्तागण की उपस्थिति मे इनके समक्ष राजीनामा पेश किया। बादीगण की पश्चात श्री धर्म नागर एड० द्वारा की तथा प्रतिवादी की पश्चात श्री शिवकुमार पटेल द्वारा की गई। प्रस्तुत राजीनामा पक्षकारान को पढ़ कर सुनाया गया। उनके द्वारा राजीनामा सुनकर समझकर कर स्वीकार किया गया तथा अपनी सहमति जाहिर की जिनकी पश्चात अभिभावकगण द्वारा की गई। प्रस्तुत राजीनामा सहमति व सद्भावी के आधार पर तस्दीक किया जाकर शा० शि० किया गया। बादी का वाद प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० शि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी बारॉं

Rohit
शिल्पा
पूजा
Ashika
Anjali

निर्णय व इजलास श्री बनवारी लाल बैरवा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 03/25
दायरा दिनांक :– 03.01.2025
निर्णय दिनांक :– 13/6/2025

उनवान

1. रोहित पुत्र बनवारी जाति धाकड आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम बामला तहसील बारां जिला बारां राज0
2. शिल्पा पुत्री बनवारी पत्नि देवीशंकर जाति धाकड उम्र 32 वर्ष निवासी बामला हाल चापाकुर तहसील खानपुर जिला झालावाड
3. पूजा पुत्री बनवारी पत्नि दीपक आयु 29 साल जाति धाकड निवासी झालरी खन्डगांव जिला कोटा राज0
4. इशिका पुत्री बनवारी पत्नि जितेन्द्र आयु 23 साल जाति धाकड निवासी बामला हाल दिलोदा तहसील बारां जिला बारां राज0
5. ज्योति पुत्री बनवारी पत्नि नरेन्द्र आंयु 30 साल जाति धाकड निवासी बामला हाल जयनगर तहसील अन्ता जिला बारां

–वादीगण

बनाम

1. बनवारी उम्र 65 साल पुत्र रामकरण जाति धाकड निवासी बामला तहसील बारां जिला बारां राज0
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां राज0

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88,89, 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 13/6/2025

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री धर्ये नागर एड0 – वादीगण
2. श्री सिकन्दर पांचाल एड0 – प्रतिवादीगण

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाके माल इकलेरा पटवार क्षैत्र इकलेरा तहसील बारां की आराजी खाता संख्या नया 476 पुराना 231 में हाल खसरा नं0 1686/318 रकबा 1.34 हे0, खसरा नं0 323 रकबा 5.29 हे0, खसरा नं0 324 रकबा 0.05 हे0, खसरा नं0 724 रकबा 0. 05 हे0 कुल किता 4 कुल रकबा 6.73 हे0 स्थित है। उक्त आराजियात को इस वाद पत्र में आगे विवादित आराजियात के नाम से संबोधित किया गया है। यह आराजी इस वाद पत्र की विषयवस्तु है। कि वर्तमान में उक्त आराजियात प्रतिवादी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज है। जो पुश्तैनी आराजी है। कि वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 बनवारी की पुत्र व पुत्रियॉ एवं वैधानिक उत्तराधिकारी है जिनका कानून उक्त आराजियात में पैदाईशी हक अधिकार प्राप्त है। चूंकि आराजियात पैत्रिक है। इसलिए उक्त आराजियात में वादीगण का प्रतिवादी क्रम 1 के साथ

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

1/6, 1/6 हक हिस्सा कानूनन निहित हैं। कि प्रतिवादी क्रम 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर उक्त संपूर्ण आराजी का अन्यत्र रहन बैचान या अन्य प्रकार से मुन्तकिल/हस्तान्तरित करने पर आमादा है तथा वादीगण को उनके सांपात्तिक एंव विधिक अधिकारों से वंचित करने पर आमादा है जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। कि वादीगण का आराजी में पैत्रिक हक हिस्सा निहित होने एवं विवादित आराजी में 1/6, 1/6 हिस्से की अधिकारणी होने से राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज करा पाने की अधिकारी एवं नालिशी है। इस संबंध में वादीगण ने राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों से कई बार निवेदन किया कि उक्त आराजी का विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में वादीगण को 1/6, 1/6 हक हिस्से की खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में खातेदार की हैसियत से दर्ज करें परन्तु उन्होने कोई ध्यान नही दिया इस कारण माननीय न्यायालय में वादीगण को यह वाद प्रस्तुत करना पड रहा है। कि प्रतिवादी अविलम्ब आनन फानन में उक्त संपूर्ण आराजी को तृतीय पक्ष हस्तान्तरित करने को आमादा है इसलिए वादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि वह उक्त आराजियात को रहन बैचान न करें तृतीय पक्ष हस्तान्तरित न करे तथा उसका बैचान न करें एवं प्रतिवादी क्रम 2 राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन न करें। कि वाद कारणा दिनांक अन्तिम बार दिनांक 16.10.2024 को प्रतिवादी क्रम 1 से आराजी का विभाजन करवाने हेतु कहने एवं प्रतिवादिया क्रम 1 द्वारा स्पष्ट इन्कार करने पर उत्पन्न हुआ। कि प्रतिवादी क्रम 2 सर्वोच्च भूस्वामी है इसलिए वाद प्रस्तुति से पूर्व नियमानुसार धारा 80 जा0दी0 के तहत विधिक नोटिस विभाजन हेतु दिया जाना आज्ञापक है जिसके निर्वहन में वादीगण द्वारा 16.12.2024 को नोटिस प्रेषित कर दिया है चूंकि वाद आवश्यक एवं गम्भीर प्रकृति का है मियाद नोटिस अभी समाप्त नही हुई है। वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुइ दौराने मियाद नोटिस वादीगण का वाद समाप्त किया जाना आवश्यक है अन्यथा वादीगण का वाद करना निरर्थक हो जावेगा। इसलिए धारा (80)2 जा0 दी0 के आवेदन के साथ यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। इस सम्माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। कि वाद उचित न्यायशुल्क पर पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की डिक्री विरूद्व प्रतिवादीगण सादर पारित फरमावें। कि विवादित आराजियात वर्णित मद् नं0 1 वाद पत्र का विभाजन किया जाकर वादीगण को 1/6, 1/6 हक हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावें। तथा राजस्व रिकार्ड में पृथक से अंकन किया जावे। एंव पृथक से लगान कायम किया जावे। कि एक स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की जावें कि बाद विभाजन ग्राम इकलेरा तहसील बारां में स्थित आराजी वर्णित मद नं0 1 वाद पत्र को प्रतिवादी क्रम 1 रहन बेचान न करें, तृतीय पक्ष हस्तान्तरित न करें तथा उसका बेचान न करें, अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान करें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से सिकन्दर पांचाल एड0 का वकालत नामा पेश हुआ। वादीगण एवं प्रतिवादी द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। वादीगण ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी वाके ग्राम इकलेरा सम्वत 2070–2075, खाता संख्या नया 476, पुराना खाता संख्या 231, नकल जमाबन्दी खतोनी ग्राम इकलेरा सम्वत 2034–2037, नकल भू–प्रबन्धक मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2038–57, नकल नोटिस 80 सीपीसी दिनांक 16.12.2024,

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

पेश किया गया। अभिभाषक उभय पक्षकारान् द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया।

प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार उक्त वाद में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपस में निम्न आशय का राजीनामा हो गया है कि प्रतिवादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात वाके ग्राम इकलेरा खाता संख्या 476 में खसरा नं0 1686/318 रकबा 1.34 हे0, खसरा नं0 323 रकबा 5.29 हे0, खसरा नं0 324 रकबा 0.05 हे0, खसरा नं0 724 रकबा 0.05 हे0, कुल 4 किता रकबा 6.73 हे0, स्थित है जिसमें वादीगण प्रत्येक का एवं प्रतिवादी का 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज किया जावें। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत राजीनामा अभिभाषक उभय पक्षकारान् द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर पेश किया गया। राजीनामा अभिभाषक उभय पक्षकारान् को पढ़कर सुनाया गया व समझाया गया। उभय पक्षकारान् राजीनामा पढ व सुनकर स्वीकार किया गया, तथा राजीनामा एवं पत्रावली पर सहमति के आधार पर हस्ताक्षर किये गये, जिनकी पहचान उनके अभिभाषकगण द्वारा की गई। अभिभाषक उभय पक्षकारान् की सहमति एवं सन्तुष्टि के आधार पर प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है, विवादित आराजियात वाके ग्राम इकलेरा खाता संख्या 476 में खसरा नं0 1686/318 रकबा 1.34 हे0, खसरा नं0 323 रकबा 5.29 हे0, खसरा नं0 324 रकबा 0.05 हे0, खसरा नं0 724 रकबा 0.05 हे0, कुल 4 किता रकबा 6.73 हे0, में से वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 01 के मध्य 1/6, 1/6 खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बनवारी लाल बैरवा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी बारां
उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 03/25	अन्तर्गत धारा 53,88,89, व 188 आर0टी0एक्ट	निर्णय दिनांक:-13/6/2025
समक्ष : श्री बनवारी लाल बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादी:- श्री धर्य नागर एड0	अभिभाषक प्रतिवादी:- श्री सिकन्दर पांचाल एड0	

वाद शीर्षक

उनवान

1. रोहित पुत्र बनवारी जाति धाकड आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम बामला तहसील बारां जिला बारां राज0
2. शिल्पा पुत्री बनवारी पत्नि देवीशंकर जाति धाकड उम्र 32 वर्ष निवासी बामला हाल चापाकुर तहसील खानपुर जिला झालावाड
3. पूजा पुत्री बनवारी पत्नि दीपक आयु 29 साल जाति धाकड निवासी झालरी खन्डगांव जिला कोटा राज0
4. इशिका पुत्री बनवारी पत्नि जितेन्द्र आयु 23 साल जाति धाकड निवासी बामला हाल दिलोदा तहसील बारां जिला बारां राज0
5. ज्योति पुत्री बनवारी पत्नि नरेन्द्र आयु 30 साल जाति धाकड निवासी बामला हाल जयनगर तहसील अन्ता जिला बारां

—वादीगण

बनाम

1. बनवारी उम्र 65 साल पुत्र रामकरण जाति धाकड निवासी बामला तहसील बारां जिला बारां राज0
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां राज0

—प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है, विवादित आराजियात वाके ग्राम इकलेरा खाता संख्या 476 में खसरा नं0 1686/318 रकबा 1.34 हे0, खसरा नं0 323 रकबा 5.29 हे0, खसरा नं0 324 रकबा 0.05 हे0, खसरा नं0 724 रकबा 0.05 हे0, कुल 4 किता रकबा 6.73 हे0, में से वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 01 के मध्य 1/6, 1/6 खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 13/6/2025 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		